

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरौही

प्रार्थी/अपीलांत

बनाम

अप्रार्थी/रेस्पोंडेन्ट

श्री श्यामलाल सोनी
जाति सोनी
निवासी वीरवाडा
तहसील पिण्डवाडा जिला सिरौही।

सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी पिण्डवाडा

किस्म मुकदमा- अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005

मुकदमा नं. 56 वर्ष 2021

दिनांक हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुकम की तामिल में जारी हुए
04.08.2021	<p>अपीलांत ने यह प्रथम अपील रेस्पोंडेन्ट के विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांत की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांत द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया है कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी पिण्डवाडा को दिनांक 17.03.2021 को प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि उपखण्ड अधिकारी पिण्डवाडा के कार्यालय से प्राप्त पत्र क्रमांक/राजस्व/2020-21-1215 दिनांक 26.11.2020 के सन्दर्भ में चार बिन्दुओं से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है।</p> <p>मैने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांत द्वारा निर्धारित शुल्क रुपये 10 जमा करा दिये है। अपीलांत द्वारा लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी पिण्डवाडा को दिनांक 17.03.2021 को प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि उपखण्ड अधिकारी पिण्डवाडा के कार्यालय से प्राप्त पत्र क्रमांक/राजस्व/2020-21-1215 दिनांक 26.11.2020 के सन्दर्भ में चार बिन्दुओं से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। चूंकि उपखण्ड अधिकारी पिण्डवाडा द्वारा अपीलार्थी को जरिए पत्र क्रमांक 880 दिनांक 26.03.2021 को सूचना उपलब्ध करवा दी गई परन्तु बिन्दु संख्या 4 की सूचना अस्पष्ट होने से अपीलार्थी को सूचना प्राप्त नहीं हो सकी। अतः अपीलांत की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी पिण्डवाडा को आदेशित किया जाता है कि अपीलांत द्वारा चाही गई बिन्दु संख्या 4 की सूचना तत्काल नियमानुसार उपलब्ध करावें। यदि सूचना देना नियमों में संभव नहीं हो तो स्पेसीफिक आदेश पारित कर अपीलांत को सूचित करें। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।</p>	

(भगवती प्रसाद)
जिला कलक्टर, सिरौही

